अध्याय XXIII

दादरा तथा नगर हवेली

संघ शासित क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली का क्षेत्रफल केवल 491 वर्ग कि.मी. है और यह गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। 1991 की जनगणना के अनुसार 78.99 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजातियों के है और 1.97 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर क्रमशः 77.64 प्रतिशत और 28.21प्रतिशत है, जबकि संघ शासित क्षेत्र में सामान्य जनता में साक्षरता दर 40.71प्रतिशत है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर बहुत कम है। यह पुरूषों के लिए 40.75 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 15.94 प्रतिशत है। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता स्तर में सुधार हो सकें। क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों में स्कूली शिक्षा बीच में ही छोंड़नें वाले छात्रों का अनुपात बहुत अधिक है। क्योंकि खराब आर्थिक स्थिति के कारण माता-पिता सामान्यतः अपने बच्चों को विधालय नहीं भेजना चाहते। इसी प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए उच्च शिक्षा संस्थाएं खोलने की तत्काल आवश्यकता है

23.2 संघ शासित क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अनुसूचित जनजातियों की लगभग 89.36 प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई है और प्रशासन को चाहिए कि जनजातीय लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयास करें। प्रशासन ने कृषि की उत्पादकता बढ़ानें के लिए कुछ उपाय किए हैं यथा फसलों की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीज़ों का वितरण, उर्वरकों का वितरण पेड़ संरक्षण, उपकरण तथा दवाओं को उपलब्ध कराना, वणिज्यिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन आदि। कुक्कुट पालन तथा खेती के लिए इमदाद तेल इंजन, विधुत पंप पी.वी.सी. पाइपों आदि की आपूर्ति जैसी स्कीमों को भी लागू किया जा रहा है। फिर भी प्रशासन को चाहिए कि संघ शासित क्षेत्र में जनजातियों के लिए आमदनी पैदा करने वाली स्कीमें शुरू करने के लिए और अधिक राशि आबंटित करे।

23.3 इस संघ क्षेत्र में अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी होने के बावजूद राज्य में कोई जनजातीय उप-योजना नहीं है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

23.4 इस संघ शासित क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को परेशान करने वाली कुछ विशिष्ट समस्याएं है। उनमें से कुछ हैं---

(क) अनुसूचित जाति के लिए पेय जल की अपर्याप्त सुविधाएं, विशेषतः पहाड़ी इलाके में।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आवास की अपर्याप्त सुविधाएं।

(ग) अनुसूचित जनजाति युवाओं में बेरोजगारी।

23.5 इस संघ शासित क्षेत्र के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम ने कुछ आमदनी पैदा करने वाली स्कीमें बनाई तो हैं किंतु वे इन समस्याओं को हल करने में

पर्याप्त प्रभावी नहीं हो पाई हैं। यह देखा गया है कि कम धनराशि के आबंटन और कार्यान्वयन में ढील के कारण अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय की दीर्घकाल से चली आ रही इन समस्याओं को हल करने के लिए संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को सतत प्रयास करने होंगे।

23.6 सेवा में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के 2प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तथापि पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत आरक्षण है। वर्ग "क" तथा "ख" में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत से कम है। प्रशासन को सेवाओं में अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

23.7 इस संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों की घटनाएं नगण्य है यहाँ प्रशासन ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए एक विशेष अदालत शुरू की है। सिलवासा स्थित दादरा तथा नगर हवेली के जिला एवं सत्र न्यायालय को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पी.ओ.ए., 1989 के अंतर्गत विशेष अदालत निदिष्ट किया गया है।